राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से	अधिवक्ता प्रत्यर्थी विभाग की ओर से
1	2	3	4	5	6
1.	732/2019	मुकेश जोशी	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। 3. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।	श्री सी पी त्रिवेदी	श्री यशवंत मेहता
2.	734/2019	जितेन्द्र शर्मा			
3.	736/2019	हर्षवर्द्धन डाबी			
4.	737/2019	राजेन्द्र प्रसाद लखारा			
5.	738/2019	फतेह सिंह			
6.	739/2019	रविन्द्र कुमार मूंदडा			

7.	735/2019	अशोक कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। 3. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।		

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 19.11.2019
आदेश की दिनांक : 17.10.2024

समक्ष : चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

आदेश

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 732/2019 मुकेश जोशी की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त तालिका में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.03.1993 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमाधारी) के पद पर नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात पदोन्नति के बाद अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमाधारी) के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, तब अपीलार्थी ने उच्च शिक्षा के लिए प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अनुमति देने का अनुरोध किया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 09.07.1996 को अनुमति दी गई (अनुलग्नक–2)। इसके पश्चात अपीलार्थी ने वर्ष 1998 में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की और उसे सेवा पुस्तिका में जोड़ने के लिए विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया और अपीलार्थी की स्नातक की डिग्री की योग्यता को सेवा पुस्तिका में जोड़ा गया और सेवा नियमों के अनुसार चयनित वेतनमान प्रदान किया गया। सेवा पुस्तिका की प्रतिलिपि अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। मार्च 2008 में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) डिग्री धारक की समेकित अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें अपीलार्थी का नाम भी क्रमांक 362 पर शामिल है, जिसमें कॉलम में, डिप्लोमा धारक के रूप में दिनांक 02.04.1993 और डिग्री धारक के रूप में दिनांक 03.07.1998 को शामिल होने की तारीख का उल्लेख किया गया है और अपीलार्थी की वर्तमान स्थिति कनिष्ठ अभियंता के रूप में बताई गई है। दिनांक 26.03.2008 की वरिष्ठता सूची की एक प्रति अनुलग्नक–4 पर संलग्न है। अपीलार्थी की तरह अन्य व्यक्ति जो सेवा के दौरान डिग्री प्राप्त कर रहे थे, उन्हें सेवा नियमों के

अनुसार वेतनमान दिया गया था। राज्य सरकार ने कनिष्ठ अभियंता के पदों को उन्नयन किया तथा उसके बाद, पद उन्नयन के कारण अपीलार्थी तथा अन्य व्यक्तियों को सहायक अभियंता के पद पर आदेश दिनांक 17.06.2008 (अनुलग्नक–5) द्वारा पदोन्नत किया गया तथा सेवा पुस्तिका की टिप्पणी में उल्लिखित इस तथ्य को इसके साथ संलग्न किया गया है तथा अनुलग्नक 6 के रूप में अंकित किया गया है। अपीलार्थी की सेवा राजस्थान इंजीनियर्स सेवा (भवन एवं सड़क शाखा) नियम, 1954 द्वारा शासित है तथा नियम, 1954 की अनुसूची–1 के अनुसार अधिशासी अभियंता का पद सहायक अभियंता (सिविल) से 100 प्रतिशत पदोन्नति वाला पद है। बी.ई. (सिविल) या सरकार द्वारा समकक्ष घोषित योग्यता, सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में 5 वर्ष की सेवा या यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा धारक है तो सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में 15 वर्ष की सेवा या यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा धारक सितंबर, 1962 से पहले सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में पदोन्नत हुआ है तो उसे इस रूप में लगातार 12 वर्ष का कार्य करने का अनुभव पदोन्नति हेतु निर्धारित है। आगे उल्लेख किया कि 15 वर्ष की अवधि उस तिथि से गिनी जाएगी, जिस तिथि को पदोन्नति समिति नियम 26 में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों पर विचार करने के लिए अपनी पहली बैठक आयोजित करती है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की नियुक्ति मार्च 1993 में हुई तथा उसने वर्ष 1998 में डिग्री पूरी की। अतः अपीलार्थी की योग्यता तथा 1954 के नियमों के अनुसार, अपीलार्थी अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है। प्रत्यर्थी विभाग समय–समय पर एक संयुक्त वरिष्ठता सूची प्रकाशित करता है अर्थात डिप्लोमा धारक के साथ–साथ डिग्री धारक कर्मचारियों और अपीलार्थी का नाम भी उसी सूची में शामिल है और अपीलार्थी ने हर बार आपत्ति भी उठाई लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने इस आपत्ति का फैसला नहीं किया है कि डिप्लोमा धारक व्यक्ति जिन्होंने उच्च अध्ययन पूरा कर लिया है यानी जब वे डिग्री प्राप्त करते हैं उन कर्मचारियों के नाम वरिष्ठता सूची में शामिल किए जाने चाहिए जैसे ही वे डिग्री पूरी करते हैं, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आपत्ति का फैसला किए बिना अब अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की जानी है और जिन व्यक्तियों ने अपीलार्थी के बाद डिग्री प्राप्त की और नियुक्त होने के बाद कनिष्ठ अभियंता के रूप में भी नियुक्त हुए, के नाम पर विचार किया गया है और अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के प्रकरण पर विचार नहीं किया गया है और बिना किसी कारण के अपीलार्थी की आपत्ति का फैसला किए बिना, प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को आदेश दिनांक 01.10.2019 द्वारा पदोन्नत किया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश नहीं दिया गया है। दिनांक 01.10.2019 के पदोन्नति आदेश की एक प्रति अनुलग्नक 7 के रूप में अंकित है। नियम 1954 के प्रावधान के अनुसार सहायक अभियंता (सिविल डिग्री) के पद पर आसीन व्यक्ति सहायक अभियंता के रूप में पांच साल की सेवा के साथ

अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं और डिप्लोमा धारक अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं, जिनके पास उक्त पद का 15 साल का अनुभव है और अपीलार्थी जुलाई 1998 के महीने में डिग्री की योग्यता रखता है। इसलिए अपीलार्थी के पास अपेक्षित योग्यता है और वह अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है, लेकिन अपीलार्थी के नाम को पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया है और अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों पर विचार किया गया है और प्रत्यर्थी विभाग ने पहले भी उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में व्यक्तियों अर्थात विष्णु शंकर, गोपी नाथ जिन्होंने सहायक अभियंता के पद पर रहते हुए डिग्री की योग्यता प्राप्त की थी, को वर्ष 2010–11 की रिक्तियों के विरुद्ध अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरुद्ध अधिशाषी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के प्रकरण पर विचार किया जावे एवं यदि कनिष्ठ व्यक्ति उपयुक्त पाए जाते हैं तो अपीलार्थी को भी उसी अनुरूप सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नत किया जाए।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि योग्यता प्राप्त करने का मतलब पदोन्नति प्राप्त करना नहीं है, ऐसे कई अन्य मानदंड हैं जो किसी कर्मचारी की पदोन्नति तय करते हैं, जैसे रिक्ति की उपलब्धता, वरिष्ठता सूची, एवं अन्य। इस प्रकार, केवल योग्यता होने के आधार पर अपीलार्थी पदोन्नति पाने का हकदार नहीं है। राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं सड़क शाखा) सेवा नियम, 1973 के नियम 6(घ) के अनुसार, यदि कोई डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियंता बीई या एएमआईई की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो वह सीधी भर्ती के कोटे के विरूद्ध अपने आवेदन पर तथा रिक्ति की उपलब्धता के अधीन स्थानांतरण द्वारा कनिष्ठ अभियांत्रिकी (डिग्रीधारी) के कोटे के विरुद्ध स्थानांतरण द्वारा कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारी) के रूप में नियुक्त होने का हकदार होगा, लेकिन उस मामले में कनिष्ठ अभियंता (डिग्री धारक) के बीच उनकी वरिष्ठता रिक्ति होने की तारीख से निर्धारित की जाएगी जिसके खिलाफ ऐसे कनिष्ठ अभियंता को कनिष्ठ अभियंता (डिग्री धारक) के पद पर और अगले उच्च पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया है। नियम 1973 के नियम 6 डी में किए गए प्रावधानों से यह बहुत स्पष्ट है कि कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक बीई या एएमआईई की योग्यता प्राप्त करने के बाद, वह अपने आवेदन पर और रिक्ति की उपलब्धता के अधीन हकदार होगा जिसके खिलाफ उसे कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक के रूप में नियुक्त किया जाना है, उस तारीख से नहीं जब उसने डिग्री हासिल की लेकिन उस तारीख से जब उसने आवेदन जमा किया और कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक के रूप में नियुक्ति हुई। तदनुसार, उनकी वरिष्ठता को कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक के रूप में नियुक्त की तारीख

से निर्धारित किया जाना है, इसलिए, एक व्यक्ति को कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक की वरिष्ठता सूची में नीचे रखा जाएगा और कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक के रूप में पहले से ही नियुक्त है। जहां तक श्री विष्णु शंकर मीना और श्री गोपी नाथ मीना का मामला है, तो यह पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इन दोनों उम्मीदवारों को डिप्लोमा धारक कोटे के तहत सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया है, क्योंकि वे कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा की वरिष्ठता सूची में थे और कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारकों को अलग से रखा जा रहा है और सहायक अभियंता के पद के लिए पदोन्नति कोटा भी डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियर डिग्री और डिप्लोमा के लिए अलग से परिभाषित किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) के पद पर वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति चाही है, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी ने बहस के दौरान यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी से किस कनिष्ठ कार्मिक को उससे पहले अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के डिप्लोमाधारी के रूप में वर्ष 1993 में हुई थी और अपीलार्थी ने विभागीय अनुमति प्राप्त कर डिग्री अर्जित की, जिसको उसके सेवाभिलेख में इंद्राज करवाया गया अपीलार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने डिग्रीधारित कर ली है। उसका निवेदन है कि उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी के संबंध में जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 26.03.2008 में उसकी कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर कार्यग्रहण तिथि डिप्लोमाधारी के रूप में 02.04.1993 एवं डिग्रीधारी के रूप में दिनांक 03.07.1998 अंकित की गई है। अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 362 पर रखा गया है, जबकि उसका नाम क्रम संख्या 223 के बाद आना चाहिए, क्योंकि उसने कनिष्ठ अभियंता के पद पर 1993 में कार्यग्रहण किया था, परन्तु अपीलार्थी यह स्पष्ट करने के असफल रहा है कि उसे किस आधार पर क्रम संख्या 223 के पश्चात् वरीयता सूची में रखा जाना है, क्योंकि क्रम संख्या 224 से 361 पर जिन कार्मिकों के नाम अंकित है उन सभी में या तो कनिष्ठ अभियन्ता डिग्रीधारी के पद पर कार्यग्रहण अपीलार्थी द्वारा डिग्री धारण करने से पूर्व की है या डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियंता है, जिन्होंने अपीलार्थी से पहले डिग्री अर्जित की गई है। अतः हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वरीयता सूची में कोई अनियमितता नहीं पाते है। क्योंकि अपीलार्थी ने जब से डिग्री धारित की है, उसके अनुसार कनिष्ठ अभियंता डिग्रीधारी की वरिष्ठता सूची में उसका नाम निधारित किया गया है। जिस अवधि में अपीलार्थी डिग्रीधारी नहीं था उस अवधि की वरिष्ठता उसे कनिष्ठ अभियंता डिग्रीधारी के रूप में नहीं दी जा सकती एवं जिन कार्मिकों ने उससे पहले डिग्री हासिल कर ली या

डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियंता के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई उनसे वरिष्ठ अपीलार्थी को नहीं रखा जा सकता। साथ ही, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने जवाब में यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी को उसकी वरीयता के अनुसार वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। अपीलार्थी यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि उससे किस कनिष्ठ कार्मिक को वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) के पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

अतः उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 732/2019 में एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य